खेती को लाभकारी बनाने के लिये

किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं

नवीन संस्करण

1. केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

1.1 विभागीय बजट से

1.1.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र संचालित समन्वित तथा बहुउद्देशीय योजना है जिसमें कृषि तथा सम्बद्ध विभाग और संस्थाओं जैसे – पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि के अतिरिक्त निजी संस्थाओं के सहयोग से कृषि उत्पादन से जुड़े संसाधनों का विकास कर किसानों को लाभ पहुंचाना और देश की घरेलू विकास दर में कृषि का योगदान बढ़ाना है।

इस योजना के अंतर्गत कृषि तकनीकी विकास और हस्तांतरण की कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सिरोंज, जिला विदिशा में निजी संस्था के सहयोग से शुरू किया गया सामुदायिक रेडियो केन्द्र तथा देश का पहला राज्य स्तरीय किसान काल सेंटर इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसके अलावा म. प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की ओर से विभागीय कृषि प्रक्षेत्र फंदा पर एक हायटेक बीज परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणाधीन है।

योजना के अंतर्गत कृषि विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों में भूमि की उर्वरता बढ़ाना किसानों को समुचित मात्रा में उन्नत बीज उपलब्ध कराना, सिंचाई संसाधनों का विकास कर जल स्तर में वृद्धि तथा सिंचाई क्षेत्र का विकास करना है।

योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिये जाते हैं :–

1 भूमिगत जल संवर्धन और नमी संवर्धन के लिये 5 लाख रूपये तक लागत के परकोलेशन टेंक बनाये जाते हैं।

2 लघुत्तम तालाब – शासकीय भूमि पर 25 लाख रूपये के सिंचाई तालाबों का निर्माण।

3 नलकूप खनन – सामान्य वर्ग के लघु–सीमांत किसानों को नलकूप खनन करवाने पर 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 15000 का अनुदान। सामान्य वर्ग के बड़े किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रूपये।

4 नलकूप खनन के पश्चात सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु लघु सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत या बड़े किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 9000 रूपये।

5 डीजल/विद्युत पंप – 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रूपये अनुदान।

6 प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम (खरीफ) – सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द पर रू 1000/– तथा धान पर रू. 500/–प्रति क्विंटल अनुदान।

7 प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम (रबी) – चना, मसूर, अलसी, सरसों पर रू 1000/– तथा गेहूं पर रू. 500/–प्रति क्विंटल अनुदान।

8 प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम (खरीफ) – सोयाबीन, मक्का, मूंग, अरहर तथा उड़द बीज वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1200/– धान बीज पर लागत का 50 प्रतिशत या रू. 500/–

9 प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम (रबी) – चना, मसूर, अलसी, सरसों के बीज वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1200/– तथा गेहूं के बीज वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत या रू. 500/– प्रति क्विंटल अनुदान।

10 संकर बीज वितरण (खरीफ) – मक्का, धान, ज्वार तथा बाजरा बीज वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 2000/– प्रति क्विंटल अनुदान।

11. बीजोपचार –

क. बीजोपचार (जैविक–ट्राईकोडर्मा) – निर्धारित मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 100/– प्रति हैक्टर।

ख. बीजोपचार (रासायनिक) – निर्धारित मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 100/– प्रति हैक्टर।

12. पौध संरक्षण –

क. जैविक कीटनाशक – निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500/– प्रति हैक्टर।

ख. एन. पी. व्ही. – निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 250/– प्रति हैक्टर।

ग. प्रकाश प्रपंच – निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500/– प्रति हैक्टर।

घ. फेरामेन ट्रेप – निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 300/– प्रति हैक्टर।

13. पोषक तत्व प्रबंधन –

क. पीएसबी/रायजोबियम कल्चर/एजेटोबेक्टर आदि – निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 100/– प्रति हैक्टर।

14. प्रदर्शन –

क. वृहद प्रदर्शन (10 हैक्टर) पर रू. 25000/– प्रति प्रदर्शन।

ख. एसआरआई/संकर धान (0.4 हैक्टर) 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 3000/– प्रति प्रदर्शन।

ग. अंतरवर्ती फसल प्रदर्शन 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 500/– प्रति प्रदर्शन।

15. जैविक खेती –

क. नाडेप टांका – 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 2000/– प्रत्येक टांका।

16. यंत्रीकरण –

क. शक्ति चलित उपकरण/यंत्र – सभी प्रकार के यंत्रों पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 15000/–

ख. बैल चलित उपकरणों पर – प्रत्येक उपकरण पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 2500/– अनुदान।

ग. हस्त चलित उपकरण – 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 500/–

घ. फार्म फील्ड स्कूल – चयनित ग्रामों में फार्म फील्ड स्कूल पर रू. 17,000/– प्रति पाठशाला।

1.1.1.1 लघुत्तम सिंचाई योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शत प्रतिशत केंद्र पोषित लघुत्तम सिंचाईं योजना में 40 हैक्टर तक सिंचाईं क्षमता के अत्यंत लघु सिंचाई तालाब के निर्माण जल संसाधन विभाग **''बोधी''** द्वारा प्रसारित नवीनतम तकनीकी दिशा निर्देशों पर कराये जाते हैं। अति विशिष्ट प्रकरण में स्टापडेम निर्माण का भी प्रावधान है। संरचनाओं के निर्माण पश्चात रख रखाव का दायित्व उनके उपयोगकर्ता दल का होता है।

1.1.1.2 नाडेप निर्माण

कार्यकम का क्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश।

अनुदान – पक्के नाडेप निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 2000/– प्रति नाडेप जो भी कम हो । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषकों को देय है।

1.1.1.3 सामान्य वर्ग के किसानों के लिये नलकूप योजना

यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकासयोजना के माध्यम से सामान्य वर्ग के किसानों को

लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 से शुरू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिये सामान्य तौर पर राज्य पोषित नलकूप योजना की परिस्थितियां ही प्रभावी होंगी।

नलकूप खनन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों के लिये सफल/असफल नलकूप खनन पर, लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का **75%** रू.15000/– एवं अन्य कृषकों को लागत का **50%** अधिकतम रू.15000/– अनुदान देय होगा। सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का **75%**, अधिकतम रू. 9000/– एवं अन्य कृषकों को लागत का **50%** अधिकतम रू. 9000/– अनुदान देय होगा।

1.1.1.4 वर्मी कम्पोस्ट पर अनुदान

यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिये लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 500/– तक अनुदान दिया जाता है। समस्त जिलों को इस हेतु लक्ष्य जारी कर दिये गये हैं। कुल 10 हजार वर्मी कम्पोस्ट पिट बनाकर जैविक खाद तैयार करने के लिये किसानों को मैदानी अमले द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

1.1.1.5 किसान काल सेंटर

खेती के कार्य मे तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के लिये विभिन्न प्रसार माध्यम उपलब्ध होने के बाद भी व्यक्तिगत तौर पर सूचना प्राप्त करने और आकस्मिक कठिनाइयों को सुलझाने के लिये एक निश्चित तथा सशक्त केन्द्र के रूप में किसान काल सेंटर की स्थापना विभाग द्वारा निजी संस्था(आयसेप) के सहयोग से प्रारम्भ की गई है। यह अपनी तरह का प्रादेशिक स्तर पर संचालित देश का पहला सूचना केन्द्र है। इस केन्द्र पर मोबाइल अथवा साधारण फोन से किये जाने वाले दूरभाष पूर्णतः निशुल्क होते हैं।

किसान काल सेंटर का मुख्यालय भोपाल में स्थित है जहां सुबह 7.00 बजे से संध्या 7.00 बजे तक दो पारियों में एक साथ कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी, अभियांत्रिकी आदि विभिन्न विषयों के 15–15 तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहकर किसानों के दूरभाष से प्राप्त सवालों का तुरन्त उत्तर देते हैं। अपनी स्थापना के कुछ ही समय में यह सेवा इतनी अधिक लोकप्रिय हो चुकी है कि प्रतिदिन इस केन्द्र पर औसतन 600 फोन प्राप्त हो रहे हैं।

काल सेंटर का नंबर है–18002334433

1.1.1.6 सामुदायिक रेडियो केन्द्र

विदिशा जिले के सिरौंज में नवम्बर–08 से विभाग की ओर से एक सामुदायिक रेडियो केन्द्र की शुरूआत की जाना इलेक्ट्रानिक माध्यमों का कृषि विस्तार कार्यक्रम मे प्रयोग किये जाने की दिशा में सशक्त कदम है। पंजाब के बाद केवल मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है, जहां किसानों को खेती–बाड़ी के संबंध में प्रतिदिन नवीनतम जानकारी उनकी अपनी बोली में प्रदान की जाती है। फिलहाल यह सेवा प्रयोगात्मक रूप से एक–एक घंटे सुबह और शाम जारी है लेकिन इसकी अवधि शीघ्र ही बढ़ा दी जायेगी। इस रेडियो केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिये लोक गीत और स्थानीय समाचार आदि भी प्रसारित किये जाते है। यह केन्द्र भी निजी संस्था आयसेप की भागीदारी से संचालित की जा रही है।

सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का फैलाव प्रदेश के सभी विकासखण्डों तक किये जाने की

प्रक्रिया विचाराधीन है। इस संबंध में कई निजी संस्थाओं ने रूचि प्रदर्शित की है।

1.1.1.7 बलराम ताल योजना

उद्देश्य	कृषि के समग्र विकास के लिये सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना।
योजना का कार्यक्षेत्र	संपूर्ण मध्यप्रदेश।
पात्र हितग्राही	समस्त वर्ग के कृषक (मात्र एक ताल के लिये अनुदान)
हितग्राही चयन प्रकिया	इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिये गये आवेदन के पंजीयन अनुसार।
बलराम ताल की स्वीकृति	ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जाएगी।
अनुदान प्राप्त करने की वरीयता	ताल निर्माण होने पर प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर।
अनुदान का प्रावधान एवं पात्रता	सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम रू. 80,000 / – अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम रू. 1,00,000 / –

1.1.2 बीज ग्राम योजना

कार्यक्षेत्र	मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के चयनित ग्राम।
योजना का उद्देश्य	कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षण तथा अधोसंरचना का विकास करना।
योजना के घटक	बीज, प्रशिक्षण एवं भंडारण कोठी।
योजना का कियान्वयन	जिला कृषि कार्यालय के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अपने विकास खंड के चयनित ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से करायेगें यह योजना सभी वर्ग के कृषकों हेतु लागू है।
अनुदान पात्रता	प्रत्येक चयनित कृषक को आधा एकड़ हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज प्रदान किया जाता है। संबंधित फसल अवस्थाओं पर 3 प्रशिक्षण कृषक को दिये जाते हैं तथा बीज भंडारण हेतु 10 क्विंटल भंडारण कोठी पर अनु. जाति / अनु. जजा. के कृषकों हेतु लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम रू. 1500 तथा 20 क्विंटल भंडारण कोठी हेतु लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम रू. 3000 अनुदान का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के कृषकों को 33 प्रतिशत अनुदान की पात्रता इस प्रकार होगी। अ. – 10 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रू. 1000 / – ब. – 20 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रू. 2000 / –

1.1.3 सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाएं (एग्रीसनेट)

प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कृषि सूचना तन्त्र प्रणाली, कृषिनेट (एग्रिसनेट) परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित की गई है। कृषिनेट परियोजनान्तर्गत शासन से नागरिकों / कृषकों तक मुख्य सुविधायें सेवाओं के रूप में प्रतिपादित होंगी। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु, नवीनतम उन्नत कृषि प्रणालियों की तकनीकें, कृषि आदान, जैसे बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण औषधियाँ व कृषि यंत्र, जैविक तकनीकों एवं शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों, मौसम, मण्डी भाव, आदि के सम्बंध में उपयोगी जानकारियां कृषिनेट वेबपोर्टल के माध्यम से कृषकों को सरलता से उपलब्ध होंगी, जिसके फलस्वरूप कृषक उन्नत कृषि प्रणालियों को

अपनाकर अपने उत्पादन एवं आय में वृद्धि कर सकेंगे।

कृषिनेट : कृषकों को दी जाने वाली प्रमुख सेवायें

- विभिन्न फसलों की नवीनतम एवं उन्नत कृषि तकनीकी हर समय कृषकों को उपलब्ध।
- मौसम, वर्षा–तापमान एवं प्राकृतिक विपदा–आपदा का पूर्वानुमान ।
- फसल प्रबंधन तकनीकों एवं भूमि एवं जल प्रबंधन तथा संवर्धन के सम्बंध में जानकारी।
- कृषि आदान जैसे उर्वरक, बीज, पौध संरक्षण दवायें, जैविक उत्पाद आदि की उपलब्धता तथा दरों की जानकारी ।
- फसलों में कीट–व्याधि की पहचान, प्रकोप एवं उसका उपचार के सम्बंध में जानकारी।
- विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कृषि गतिविधियों की जानकारी ।
- कृषि अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वैज्ञानिकों से सजीव परिचर्चा तथा सलाह से समाधान के अंतर्गत कृषकों की समस्याओं का वेब पोर्टल पर समाधान ।
- कृषि केलेण्डर एवं कृषि सम्बंधी समाचार ।
- कृषि उत्पाद की फसलों की दिन–प्रतिदिन की दरें, बाजार/मण्डी भाव आदि की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराना ।
- सूचना का अधिकार ।

सेवा प्रदाय केन्द्र

- जिला से लेकर विकासखण्ड स्तर तक विभागीय किसान ज्ञान केन्द्र ।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये गये नागरिक सेवा केन्द्र ।
- कृषि उपज मण्डियों के ई–कियोस्क ।
- जिले के समस्त निजी सूचना केन्द्र/इन्टरनेट कैफे/कम्प्यूटर केन्द्र

1.2 सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त (आफ बजट)

1.2.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित यह एक बहुआयामी योजना है। धान, गेहूं और दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उन क्षेत्रों में संचालित है जहाॅ इन फसलों की उत्पादकता कम है। योजना का उद्‌देश्य सतत रूप से तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना और कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। योजना के तीनों घटकों के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं का लेख नीचे किया जा रहा है।

धान घटक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत धान विकास कार्यक्रम प्रदेश के 9 जिलों में चलाया जा रहा है। चयनित जिले – दमोह, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी, और मंडला हैं।

1. **उन्नत पैकेज पद्धतियों का प्रदर्शन** 0.4 हैक्टर क्षेत्र पर रू. 2500 प्रति प्रदर्शन।

2. धान सघनीकरण की प्रणाली पर प्रदर्शन	0.4 हैक्टर क्षेत्र पर रू. 3000 प्रति प्रदर्शन।
3. संकर धान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शन	0.4 हैक्टर क्षेत्र पर रू. 3000 प्रति प्रदर्शन।
4. संकर धान बीज को बढ़ावा देने के लिये समर्थन	
क. संकर धान बीज के उत्पादन हेतु सहायता	रू. 1000 प्रति क्विंटल या लागत का 50 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो।
ख. संकर धान बीज के वितरण हेतु सहायता	रू. 2000 प्रति क्विंटल या लागत का 50 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो।
5. विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज के वितरण हेतु सहायता	रू. 5 प्रति कि. ग्रा. की दर से या लागत का 50 प्रतिशत, इसमें जो भी कम हो।
6. उच्च उपज वाली किस्मों के बीज मिनी किट	बीज की पूरी लागत।
7. सूक्ष्म पोषक तत्वों (कमी वाली मृदा हेतुं) के लिये आर्थिक प्रोत्साहन	रू. 500 प्रति हैक्टर की दर से या लागत का 50 प्रतिशत, इसमें जो भी कम हो।
8. अम्लीय मृदा में लाइमिंग हेतु आर्थिक प्रोत्साहन	रू. 500 प्रति हैक्टर की दर से या लागत का 50 प्रतिशत सहायता, इसमें जो भी कम हो।
9. कोनोवीडर और अन्य कृषि उपकरणों हेतु आर्थिक प्रोत्साहन	रू. 3000 प्रति किसान की दर से या लागत का 50 प्रतिशत सहायता, इसमें जो भी कम हो।
10. पौध संरक्षण रसायनों और जैव कीटनाशकों के लिये सहायता	रू. 500 प्रति हैक्टर की दर से या लागत का 50 प्रतिशत सहायता, इसमें जो भी कम हो।
11. कृषक प्रशिक्षण	
एफ. एफ. एस. पद्धति पर किसानों का प्रशिक्षण	रू. 17000 प्रति प्रशिक्षण (पूरी लागत)।
12. कृषि यंत्रों हेतु सहायता	
नेपसेक स्प्रेयर	रू.3000 प्रति स्प्रेयर या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
पावर वीडर	रू. 15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
रोटावेटर	रू. 30000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।

जीरोटिल सीड ड्रिल	रू. 15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
मल्टीकाप प्लांटर	रू. 15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
सीडड्रिल	रू. 15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
डीजल पंप सेट	रू. 10000 प्रति पंप सेट (10 हार्सपावर तक) या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।

गेहूं घटक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं फसल के लिये योजना का क्षेत्र विस्तार प्रदेश के 30 चयनित जिलों में रायसेन, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, हरदा, सीहोर, इंदौर, खंडवा, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, गुना, शिवपुरी, भिण्ड, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, शहडौल, सीधी, डिंडौरी, कटनी, मंडला, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट हैं।

1. उन्नत पद्धति पैकेज का प्रदर्शन	0.4 हैक्टेयर क्षेत्र प्रति प्रदर्शन रू. 2000 की दर से सहायता।
2. बीज प्रतिस्थापन	रू. 5 प्रति किलोग्राम अथवा लागत के 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से सहायता। इसकी सहायता से बीज प्रतिस्थापन की दर बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
3.बीज मिनिकिटों का वितरण	बीज की कुल लागत।
4. सूक्ष्म पोषक तत्वों हेतु प्रोत्साहन	रू. 500 प्रति हैक्टर या लागत का 50 %, जो भी कम हो।
5. जिप्सम हेतु प्रोत्साहन (नमक प्रभावित मृदा)	रू. 500 प्रति हैक्टर या लागत का 50 %, जो भी कम हो, की दर से सहायता।
6. जीरो टिलेज सीड ड्रिल	लागत का 50 %, अथवा रू. 15000 प्रति यंत्र जो भी कम हो, की दर से सहायता।
7. रोटावेटर	लागत का 50%,अथवा रू. 30000 प्रति यंत्र जो भी कम हो, की दर से सहायता।
8. डीजल पंपसेटों के लिये प्रोत्साहन (10 हार्सपावर तक)	लागत का 50%,अथवा प्रति पंपसेट रू. 10,000 जो भी कम हो, की दर से सहायता।
9. एफ एफ एस प्रतिमान पर किसान प्रशिक्षण	रू. 17000 प्रति प्रशिक्षण की दर से सहायता।
10. नेपसेक स्प्रेयर	रू.3000 प्रति स्प्रेयर या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
11. मल्टीकाप प्लांटर	रू.15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
12.सीडड्रिल	रू.15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
13.स्प्रिंकलर सेट	रू.7500 प्रति हैक्टर या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।

दलहन घटक

यह कार्यक्रम प्रदेश के 20 जिलों में रायसेन, विदिशा, राजगढ़, झाबुआ, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि के लिये चलाया जा रहा है।

1. बीज	
• दलहनी फसलों के आधार एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन	रू. 1000 प्रति क्विंटल।
• प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता	लागत का 50 प्रतिशत या रू.1200 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
2. समेकित पोषक तत्व प्रबंधन	लागत का 50 प्रतिशत या रू.1250 प्रति हैक्टर जो भी कम हो। अधिकतम रू. 750 चूना एवं जिप्सम के लिये तथा अधिकतम रू. 500 सूक्ष्म तत्वों के लिये।
3. समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम)	लागत का 50प्रतिशत या रू. 750 प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
4. स्प्रिंकलर सेटों का वितरण	सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या रू. 7500 प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
5. एफ. एफ. एस. प्रतिमान पर किसान प्रशिक्षण	रू. 17,000 प्रति प्रशिक्षण।
6. नेपसेक स्प्रेयर	रू.3000 प्रति स्प्रेयर या कीमत का 50प्रतिशत, जो भी कम हो।
7. मल्टीकाप प्लांटर	रू.15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50प्रतिशत, जो भी कम हो।
8. सीडड्रिल	रू.15000 प्रति यंत्र या कीमत का 50प्रतिशत, जो भी कम हो।
9. रोटावेटर	लागत का 50%,अथवा रू. 30000 प्रति यंत्र जो भी कम हो
10.जीरो टिलेज सीड ड्रिल	लागत का 50 %, अथवा रू. 15000 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
11. डीजल पंपसेटों के लिये प्रोत्साहन(10 हार्सपावर तक)	लागत का 50%,अथवा प्रति पंपसेट रू. 10,000 जो भी कम हो।

1.2.2 राष्ट्रीय बांस मिशन योजना

यह योजना शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से प्रदेश के 2 जिले बालाघाट एवं सिवनी में वर्ष 2007–08 से कियान्वित है। यह एक समन्वित योजना है जिसमें संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को बांस मिशन के संचालक के रूप में भारत सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग संयुक्त रूप से कार्य रहे हैं। मिशन के अंतर्गत बांस से उत्पादन को बढ़ावा देने एवं कुटीर उद्योगों में बांस के उपयोग द्वारा आजीविका के स्रोत निर्मित करने का उद्देश्य केंद्र बिन्दु में रखा गया है। बांस उत्पादक कृषकों को प्रशिक्षण का कार्य कृषि विभाग के मार्गदर्शन में वन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

2 – केन्द्र पोषित योजनाएं

2.1 मेकोमेनेजमेट योजनाएं

2.1.1 एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

उद्देश्य	प्रदेश में ज्वार, धान, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी, गेहूँ, जौ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।
पात्र हितग्राही	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक।
हितग्राही चयन प्रकिया	कृषकों का चयन ग्रा. कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी और व. कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है।

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण

प्रजनक बीज की खरीदी	बीज की कीमत का शत–प्रतिशत अधिकतम रू. 2000 प्रति क्विंटल जो भी कम हो।
बीजोत्पादन पर सहायता	
अ. आधार बीज	प्रजनक से आधार बीज उत्पादन पर रूपये 200/– प्रति क्विंटल(बीजोत्पादक संस्था को)
ब. प्रमाणित बीज	आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रूपये 200/– प्रति क्विंटल। (कृषक के लिये रूपये 150/– तथा संस्था के लिये रूपये 50/–)
आधार/प्रमाणित बीज वितरण	10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूं, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी बीज पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल।
प्रशिक्षण	**क**. राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के लिये अधिकतम रू.1,00,000 प्रति कार्यशाला। **ख.** विस्तार कार्यकर्ताओं की कार्यशाला के आयोजन के लिये अधिकतम रू.10,000 प्रति कार्यशाला। **ग.** कृषक प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रूपये 5,000/– प्रति प्रशिक्षण (30 कृषकों हेतु)। **घ.** धान की मेडागास्कर पद्धति के प्रशिक्षण हेतु रूपये 5,000/– प्रति प्रशिक्षण (30 कृषकों हेतु)।
फसल प्रदर्शन	**क**. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिये 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 1000 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़। **ख.** अंतरवर्तीय फसल प्रदर्शन के लिये 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हेक्टेयर। **ग.** मेडागास्कर फसल प्रदर्शन के लिये रू. 1000 प्रति एकड़।
आई. पी. एम. प्रदर्शन कम प्रशिक्षण	प्रति प्रदर्शन रू. 17000/– 30 कृषकों हेतु। **(कृषक पाठशाला के द्वारा)**

कम्यूनिकेशन सपोर्ट	मुद्रित सामग्री (प्रिंटेड मटेरियल) हेतु अधिकतम रू. 1,00,000/– प्रति (संभागीय संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को)
बायो पेस्टीसाइड्स	25 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टेयर।
बीज उपचार (रासायनिक/जैविक)	25 प्रतिशत अधिकतम रू. 50 प्रति हैक्टेयर।
बीज उत्पादन कार्यक्रम	शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों, बीज निगम, तिलहन संघ, कृषि विश्व विद्यालय के प्रक्षेत्रों के 10 किलो मीटर की परिधि में सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभकारी खाद्यान्न फसलों के उन्नत किस्मों के आधार/प्रमाणित–एक श्रेणी के बीज उपलब्ध कराये जायेंगे। कृषक द्वारा कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में कार्यक्रम लिया जायेगा। अधिकतम रू. 1500 प्रति हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होगी।
बीज स्वावलम्बन	कृषक द्वारा धारित भूमि का 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज 25 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा। अधिकतम रू. 1500/– प्रति हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होगी।

2.1.2 सतत गन्ना विकास योजना

उद्देश्य	प्रदेश में गन्ना उत्पादन, व उत्पादकता को बढ़ावा देना एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।
योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र	चुने गये 27 जिले – भोपाल, सीहोर ,बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, मुरैना, श्योपुरकला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, उज्जैन, रतलाम, देवास, इंदौर, धार, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, सागर, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, छतरपुर और सिवनी ।
पात्र हितग्राही	सभी श्रेणी के कृषक, प्राथमिकता नियमानुसार।
हितग्राही चयन प्रकिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी द्वारा गन्ना उत्पादक कृषकों का चयन किया जाता है।
कृषक प्रशिक्षण	50 कृषकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण पर रू.10,000 प्रति प्रशिक्षण।
कृषक भ्रमण	40 कृषकों के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम रू. 50,000/– प्रति कृषक भ्रमण।
गन्ना बीज प्रगुणन	उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अथवा रू.2000 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।

2.1.3 एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा उर्वरक का संतुलित प्रयोग एवं बेलेंस एंड इंटीग्रेटेड यूज आफ फर्टिलाइजर

उद्देश्य	समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुये दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना।

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।
पात्र हितग्राही	अनुसूचित जाति / अनूसूचित जनजाति/लघु सीमांत/ महिला कृषक एवं सामान्य श्रेणी के कृषक।
हितग्राही चयन	कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन अनुसार।
अनुदान व प्रशिक्षण प्रावधान	
• **स्वाइल बेस्ड बी. जी. ए. कल्चर**	लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू.1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, अनुदान देय है।
• **हरी खाद बीज वितरण**	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 1000 प्रति क्विंटल अनुदान देय है।
• **वर्मी कम्पोस्टिंग पिट**	लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 1000 प्रति पिट, अनुदान देय है।
• **कृषक प्रशिक्षण**	विकास खंड स्तर पर 30 कृषकों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रूपये 6000 प्रति प्रशिक्षण का प्रावधान है।
• **मिट्टी परीक्षण एवं उर्वरक गुण नियंत्रण प्रशिक्षण**	20 कृषक, 20 प्रसार कार्यकर्ता एवं 10 उर्वरक विक्रेताओं के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू. 5000/— प्रति प्रशिक्षण का प्रावधान है।
• **मृदा स्वास्थ्य कार्ड**	किसानों द्वारा मिट्टी परीक्षण हेतु बारम्बार प्रदत्त मिट्टी नमूनों के विश्लेषण की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसानों के पास रहती है। ये कार्ड मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किसानों को निःशुल्क दिया जाता है।

2.1.4 भू जल संवर्धन योजना

अपर्याप्त वर्षा एवं भू जल के अनियंत्रित दोहन से प्रदेश के भू जल स्तर में काफी गिरावट आई है। गिरते हुये भू जल स्तर को रोकने के लिये राज्य शासन द्वारा मेक्रोमेनेजमेंट प्लान के अंतर्गत दिसंबर 2000 से भू जल संवर्धन योजना प्रारंभ की गई है।

योजना में अधिकतम लागत राशि रू. 5 लाख तक के नवीन परकोलेशन टैंक का निर्माण शासकीय भूमि पर शासन द्वारा किया जाता है। निर्माण उपरांत इन संरचनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत/उपयोगिता समूह के लिये रख रखाव एवं उपयोग करने के उद्देश्य से हस्तांतरण कर दिया जाता है। योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू है।

2.1.5 नदीघाटी एवं बाढ़—उन्मुख नदी योजना

यह योजना भारत सरकार के 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 10 प्रतिशत सहयोग से चलाई जा रही है। देश की बड़ी नदियों पर विद्युत और सिंचाई के उद्देश्य से बहु उद्देशीय सिंचाई बांध निर्मित किये गये हैं इनमें मिट्टी के कटाव और रेत के बहकर आने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार सिंचाई जलाशयों ने भी समान प्रकार के अवरोध आते हैं। नदी घाटी एवं बाढ़ उन्नमुख परियोजना के अंतर्गत बड़े सिंचाई स्त्रोतों में बहकर आने वाली मिट्टी और सिल्ट को रोककर उनकी जलधारण क्षमता को बढ़ाने संबंधी निर्माण कार्य किये जाते हैं। इसके साथ ही जलग्रहण क्षेत्रों की कृषि एवं अकृषि भूमि को उपचारित कर उसकी उत्पादकता बढ़ाने संबंधी कार्य इस योजना में किये जाते हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के 10 जिलों के पांच जलग्रहण क्षेत्रों माताटीला, चंबल, तवा, माहीतथा सोन में क्रियान्वित किया जा रहा है।

2.1.6 राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना

योजना अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में अनुमानित 500 हैक्टर वर्षा आधारित क्षेत्र के एक–एक माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र का चयन किया जाता है। जलग्रहण क्षेत्र के हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना भारत सरकार के 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 10 प्रतिशत सहयोग से चलाई जा रही है।

कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन जन भागीदारी पद्धति से ग्राम स्तर पर वाटरशेड समिति गठित कर किया जाता है। योजनांतर्गत एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यों जैसे – मिट्टी और पत्थर के चैक्स, छोटी–छोटी जल संरचनाएं एवं वानस्पतिक उपायों द्वारा किया जाता है। जलग्रहण क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लिये उन्नत बीज का प्रयोग बढ़ाना, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, समन्वित कीटनाशी प्रबंधन जैसे – घटकों का प्रावधान है।

योजना में लघु, सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों के स्व–सहायता समूहों का गठन कर कृषि एवं ग्रामोद्योग इकाई के लिये भी सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

2.1.7 कृषि यंत्रीकरण

केन्द्र पोषित योजना मेक्रोमेनेजमेंट के अंतर्गत कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है जिसमें कम्बाईन हार्वेस्टर, 40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रेक्टर, पावर टिलर, शक्तिचलित एवं बैलचलित/हस्तचलित उन्नत कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान देय है। इन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिये कृषि विस्तार अधिकारियों के द्वारा प्रकरण बनाये जाते हैं।

कृषि यंत्रीकरण हेतु स्वीकृत अनुदान व्यवस्था निम्नानुसार है–

क.	कृषि यंत्र/मशीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
1	ट्रेक्टर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 45,000/–	ट्रेक्टर – 40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के
2	पावर टिलर	(अ) कीमत का 40% अधिकतम रू. 45,000/–	पावर टिलर – 8 बी.एच.पी. तथा ज्यादा के
		(ब) कीमत का 40% अधिकतम रू. 25,000/–	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 8 बी.एच.पी. से कम के हल्के पावर टिलर
3	स्वचालित मशीनें	कीमत का 25% अधिकतम रू. 40,000/–	स्वचालित रीपर , पैडी ट्रान्सप्लांटर एवं अन्य स्वचालित मशीनें
4	विशेष शक्तिचलित उपकरण	(अ) कीमत का 25% अधिकतम रू. 15,000/–	विशेष शक्तिचलित उपकरण जैसे– पोटेटो प्लांटर , पोटेटो डिगर , ग्राउण्डनट डिगर , स्ट्रिप टिल ड्रिल , ट्रेक्टर चलित रीपर , क्लीनर कम ग्रेडर , ड्रायर , स्टबल शेवर, मोबाइल फ्रूट हार्वेस्टर , पावर वीडर , मिनी राईस मिल , दाल मिल , कल्टीपेकर , ओनियन हार्वेस्टर , मोटरीकृत बनाना फाइबर मेकिंग मशीन ।

		(ब) कीमत का 40% अधिकतम रू. 20,000/–	विशेष शक्तिचलित उपकरण जैसे– जीरो–टिल सीड–कम –फर्टिलाईजर ड्रिल , रैज्ड–वेड प्लांटर ,शुगरकेन कटर–प्लांटर/रिंग पिट डिगर/पोस्ट–होल डिगर, रोटावेटर , स्ट्रा–रीपर , क्राप रीपर/बाइन्डर , हैप्पी सीडर , वेजिटेवल ट्रान्सप्लांटर/न्यूमेटिक वेजिटेवल सीडर ।
			नोटः– राज्यों द्वारा प्रस्तावित नये उपकरण उनकी उचित श्रेणी में DAC द्वारा रखे जावेंगे ।
5	शक्तिचलित उपकरण (ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित)		पराम्परिक रूप से उपयोग किये जाने वाले ट्रेक्टर एवं पावर चलित यंत्रों को शामिल करने का उद्देश्य
		(अ) कीमत का 25% अधिकतम रू. 10,000/–	आवश्यक ट्रेक्टर चलित यंत्र जैसे –एम.बी. /डिस्क प्लाऊ, हैरो, कल्टीवेटर, सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल ।
		(ब) कीमत का 25% अधिकतम रू. 10,000/–	पावर टिलर चलित यंत्रों के सेट के लिये। उदाहरण : हेरो , कल्टीवेटर एवं सीड–ड्रिल
6	पावर थ्रेशर (सभी प्रकार के)	कीमत का 25% अधिकतम रू. 12,000/–	–
7	पशु शक्ति चलित टूल केरियर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 6,000/–	पशु शक्ति चलित विशेष यंत्र जैसे–
			(अ) मल्टी टूल वार/केरियर/ट्रॉपीकल्टर (कमसे कम 4 अचैटमेन्ट सहित)
			(ब) प्री–जर्मिनेटेड पैडी सीडर
8	पशु शक्ति चलित यंत्र	कीमत का 25% अधिकतम रू. 2500/–	–
9	हस्त चलित यंत्र/टूल्स	कीमत का 25% अधिकतम रू. 2000/–	–
10	कोनो वीडर	कीमत का 50% अधिकतम रू. 3,000/–	प्रति कृषक
11	डीजल/विद्युत पंप सेट	कीमत का 50% अधिकतम रू. 10,000/–	डीजल/विद्युत पंप सेट–7.5 बी.एच.पी./5 कि. वाट तक के
12	पौध संरक्षण यंत्र		
	(अ)हस्त चलित	कीमत का 25% अधिकतम रू. 800/–	–

	(ब) शक्ति चलित	कीमत का 25% अधिकतम रू. 2,000/–	–
	(स) ट्रेक्टर माउन्टेड	कीमत का 25% अधिकतम रू. 4,000/–	–
	(द) एरो ब्लास्ट स्प्रेयर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 25,000/–	–
13	कम्बाईन हार्वेस्टर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 1.50 लाख	कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु वित्तीय सहायता केवल निम्न हेतु है –
		(इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश कम्बाईन हार्वेस्टर (कटर बार 12–14 फीट सहित) जो कृषकों द्वारा उपयोग की जा रही है उसकी कीमत रूपये 7–9 लाख प्रति यूनिट है)	कृषकों का समूह , पंजीकृत सहकारी संस्थायें , एग्रीकल्चर केडिट सोसायटिज , मल्टी परपज एग्रीकल्चर फार्मिगं सोसायटिज , स्व–सहायता समूह (SHG's) , वही समूह सहायता के पात्र होंगे जो किसी NGO के भाग नही हैं । कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स अन्तर्गत नामांकित कम्बाईन हार्वेस्टर ही इस योजना हेतु पात्र होंगे ।

2.2 तिलहन दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)

उद्देश्य — केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन,दलहन तथा मक्का का उत्पादकता बढ़ाना है ।

योजना का कार्य क्षेत्र — सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

पात्र हितग्राही — सभी श्रेणी के कृषक ।

हितग्राही का चयन — ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्राप्त ग्राम सभा की कृषि स्थाई समिति के अनुमोदन अनुसार।

<u>घटकवार अनुदान</u>

बीज :–

अ. प्रजनक बीज खरीदी — शत प्रतिशत अनुदान है।

ब. आधार बीज उत्पादन — रू. 500/–प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

स. प्रमाणित बीज उत्पादन — रू. 500/–प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

द. प्रमाणित बीज वितरण — कुल कीमत का 50 प्रतिशत या 300/– रूपये प्रति क्विंटल जो भी कम हो अनुदान देय है।

2.बीज मिनिकिट — थ्नशुल्क दिये जायेगें।

3.पौध संरक्षण

(अ.) पौध संरक्षण औषधी — कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू.500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो

(ब.) नींदानाशक दवा — कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू.500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

(स.)न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसिस वायरस (एन.पी.व्ही.)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 250/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
4.यंत्र	
(अ.) पौध संरक्षण यंत्र	
1. हस्त	कीमत का 50 प्रतिशत या रू.800/– प्रति यंत्र जो भी कम हो
2. शक्ति चलित	कीमत का 50 प्रतिशत या रू.2000/–प्रति यंत्र जो भी कम हो
(ब.) उन्नत कृषि यंत्र	
1. हस्त/बैल चलित	कीमत का 50 प्रतिशत या रू.2500/–प्रति यंत्र जो भी कम हो
2. शक्ति चलित	कीमत का 50 प्रतिशत या रू.15000/–प्रति यंत्र जो भी कम हो
5.प्रदर्शन **अ. ब्लाक प्रदर्शन**	इनपुट की कीमत का 50 प्रतिशत या दलहनी फसलों–अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मोंठ, ग्वार, कुलथी तथा तेवड़ा पर 2000/– मसूर पर 2200/– चना एवं मटर पर 2500/– तथा राजमा पर अधिकतम 3500/– रूपये अनुदान देय होगा। तिलहनी फसलों पर मूंगफली 4000/– सोयाबीन 3000/–, सरसों, तोरिया, अलसी 2000/– सूरजमुखी 2500/– मक्का फसल पर अधिकतम 4000/– अनुदान देय है।
ब. आई.पी.एम. प्रदर्शन	पौध वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं में जैव सघनता का प्रदर्शन। **सरसों** :– ट्राईकोडर्मा, नीम 1500 क्राईसोपर्ला, अधिकतम रूपये 930/– प्रति हैक्टर। **मूंगफली** :– ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला एन.पी.व्ही. एसएल. ट्रेप+ ल्योर नीम 1500 ल्योर बी.टी.पर अधिकतम रूप्ये 1627.50/– प्रति हैक्टर। **सोयाबीन** :– ट्राईकोडर्मा, एन पी व्ही एस एल ट्रेप+ ल्योर, नीम 1500 ल्योर पर अधिकतम 428/– रूपये प्रति हैक्टर। **चनाः–** ट्राईकोडर्मा,ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, एन.पी.व्ही.बी.टी. अधिकतम राशि रूपये 747.50/– प्रति हेक्टर। **अरहरः–** ट्राईकोडर्मा, नीम 1500, ट्रेप+ल्योर,एन.पी.व्ही.बी.टी. अधिकतम राशि रूपये 1140/– प्रति हेक्टर। **सूरजमुखीः–** ट्राईकोडर्मा,क्राईसोपर्ला,एन.पी.व्ही.एच.ए.बी.टी. अधिकतम राशि रूपये 1230/– प्रति हेक्टर **मक्काः–** ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला, बी.टी. अधिकतम राशि रूपये 1480/– प्रति हेक्टर
6. पोषण प्रबंधन	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 500, जो भी कम हो।
अ. राइजोबियम कल्चर/पी. एस.बी.	कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 50/– प्रति है. जो भी कम हो।

ब. जिप्सम / पायराइट / डोलोमाइट वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत (सामग्री तथा परिवहन सहित) या रूपये 750 / – प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
स. सूक्ष्म तत्वों का वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत या राशि रूपये 500 / – प्रति हैक्टर जो भी कम हो ।
7. सिंचाई	
(अ.) स्प्रिकलर सेट वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत या 7500 / – रूपये प्रति सेट जो भी कम हो।
(ब.) सिंचाई स्त्रोत से खेत तक पानी की सुविधा हेतु पाइप लाइन	कीमत का 50 प्रतिशत या रूपये 15000 / – सेट 800 मीटर पाइप सभी प्रकार (पी व्ही सी एच डी पी ई पाईप) एवं सभी आकार के पाइप पर ।
(स) रेनगन	कीमत का 50 प्रतिशत या रूपये 6000 / – जो भी कम हो।
8. प्रशिक्षण	
(अ.) कृषक प्रशिक्षण	50 कृषकों के समूह को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 15000 / – प्रति प्रशिक्षण
(ब.) अधिकारियों का प्रशिक्षण	30 अधिकारियों के दो दिन के प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 16000 / –प्रति प्रशिक्षण
9. टॉपअप अनुदान	**राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये :–**
(अ.) स्प्रिंकलर	30 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 4500 / – प्रति सेट।
(ब.) रेनगन	कीमत का 50 प्रतिशत या रूप्ये 6000 / – जो भी कम हो। इसके अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से 30 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 3600 / – प्रति सेट ।

2.3 सघन कपास विकास कार्यक्रम
(कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन –2)

उद्देश्य	कपास का उत्पादन, उत्पादकता तथा रेशे की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
योजना का प्रकार	यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो 75:25 केन्द्रांश व राज्यांश से संचालित है।
कार्यक्षेत्र	यह योजना प्रदेश के 14 कपास उत्पादक जिलों – धार, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, मन्दसौर, बैतूल, सीहोर, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, हरदा देवास और अलीराजपुर में संचालित है।
पात्र हितग्राही	• सभी वर्गों के कृषक योजना के लिये पात्र होंगें किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु–सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। • हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन ग्राम पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त किया जायेगा। • पूर्व वर्षों में लाभान्वित कृषकों को पुनः लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

योजना का लाभ कैसें लें	• कपास उत्पादक कृषक क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर योजना में प्रावधानित आवेदन पत्र के प्रपत्र प्राप्त करें तथा पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/प्राथमिक सहकारी समिति को प्रस्तुत करें। कृषकों को योजना का लाभ ''प्रथम आवे प्रथम पावे '' के सिद्धांत से देय होगा।
कार्यक्रम के घटक	
प्रजनक बीज प्रदाय	15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों, संकर बीज की कीमत का 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता, बीजोत्पादक संस्था को देय।
आधार बीज उत्पादन	15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों/संकर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50 प्रति किलो सहायता बीजोत्पादक संस्था को देय।
प्रमाणित बीज उत्पादन	15 वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों/संकर बीजो की उत्पादन लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू 15 प्रति किलो सहायता देय।
प्रमाणित बीज वितरण	15 वर्ष के अंदर की अधिसूचित हायब्रीड एवं उन्नतशील किस्मों के बीजों की कीमत का 25 प्रतिशत तथा ई. एल. एस.(अतिरिक्त लंबाई के रेशे वाले) कपास की किस्मों/संकर पर कीमत का 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देय है।
कृषि यंत्रों पर अग्र पंक्ति प्रदर्शन(विभाग द्वारा)	चयनित कृषि यंत्रों के अग्र पंक्ति प्रदर्शन हेतु उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों के क्रय के लिये निर्धारित राशि रू. एक लाख तक जिसमें प्रदर्शन हेतु राशि रू. 5000/– भी सम्मिलित है।
प्रौद्योगिकी पर अग्रपंक्ति प्रदर्शन(संस्थागत)	कपास उत्पादन की प्रौद्योगिकी के अग्रपंक्ति प्रदर्शन हेतु राशि रू. 2000/– प्रति एकड़/प्रदर्शन आर्थिक सहायता देय है।
स्प्रिंकलर सेट	सभी वर्ग के कृषकों को कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 7500, जो भी कम हो एवं इसके अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से 30 प्रतिशत टाप अप अनुदान अधिकतम 4500 देय होगा।
ड्रिप (टपक) सिंचाई	इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 25,000 प्रति हैक्टर तथा जल ग्रहण क्षेत्रों में कीमत का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 30,000 प्रति हैक्टर सहायता एवं इसके अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से टाप अप अनुदान 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 15000 प्रति हेक्टर।
कीट व्याधि सर्वेक्षण	चयनित कपास उत्पादक जिलों के लिये रू. एक लाख प्रति जिला/प्रति वर्ष सहायता।
कृषक खेत पाठशाला	30 कृषकों की कृषक खेत पाठशाला में रू.17,000 प्रति पाठशाला की दर से आर्थिक सहायता।
बीजोपचार	रासायनिक बीजोपचार के लिये बीजोपचार सामग्री की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 40 प्रति किलो सहायता।
ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम	कृषकों को इकाई लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 2500 प्रति इकाई आर्थिक सहायता देय।
फेरोमेन ट्रेप	थ्नर्धारित लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू.300 प्रति हैक्टर।

पौध संरक्षण यंत्र	**क. हस्तचलित यंत्र** की निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 800 प्रति स्प्रेयर/डस्टर। **ख. शक्ति चलित यंत्र** की निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2000 प्रति यंत्र। **ग. ट्रेक्टर माउन्टेड यंत्र** की कीमत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10,000 प्रति यंत्र।
बायो एजेन्ट	थ्नर्धारित कीमत का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू.900 प्रति हैक्टर।
प्रशिक्षण	**अ. राज्य स्तरीय प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण** – 30 प्रसार कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये रू. 15,000/– **ब. फेसीलेटर्स को प्रशिक्षण** – प्रति प्रशिक्षण रू. दस लाख का प्रावधान, जिसके अंतर्गत 30 विस्तार कार्यकर्ता प्रशिक्षणार्थियों को बीज से बीज तक का प्रशिक्षण। **स. कृषक प्रशिक्षण** – कपास उत्पादक 30 कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिये राशि रू. 5000/– का प्रावधान रखा गया है।

2.4 कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)

कार्यक्षेत्र – भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अंश की सहायता से कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) वर्तमान में पूरे प्रदेश में संचालित है। इसके अंतर्गत कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है।

जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय कृषक प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शनों का आयोजन, अंतर जिला कृषक भ्रमण, अंर्तराज्यीय कृषक भ्रमण, कृषक समूहों जैसे – कृषक रूचि समूह, महिला समूह, किसान संगठन, जिन्स आधारित संगठन, कृषक सहकारी संगठन का गठन ।

इसके साथ ही योजना में उत्कृष्ट कृषि समूहों को पुरस्कृत करना, जिला स्तरीय कृषक मेला/प्रदर्शनी का आयोजन, किसान – वैज्ञानिक – विस्तार कार्यकर्ता जिला स्तरीय चर्चा, प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन, खंड स्तरीय सूचना एवं सलाह केंद्र की स्थापना आदि प्रमुख गतिविधियाँ हैं।

भारत सरकार द्वारा सहायतित कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के द्वारा कृषि विस्तार कार्य जैसे – फार्म स्कूल प्रदर्शन, कृषक भ्रमण आदि हेतु 8 पार्टनर से एम. ओ. यू. हस्ताक्षरित किये गये हैं। ये पार्टनर आई.टी.सी., प्रदान, दावत, जी.व्ही. टी., के. जे. एजुकेशन सोसायटी, आईसेप, आसा एवं एम. पी.आर. एल. पी.आदि हैं।

के. जे. एजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रत्येक माह **''आत्मा संदेश''** की एक लाख प्रतियों का प्रकाशन किया जा रहा है जिसे संभाग एवं जिला स्तर के कार्यालयों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, के सदस्यों किसान दीदी, किसान मित्र आदि को वितरित किया जा रहा है।

उक्त सुविधाओं का लाभ लेने हेतु कृषक सीधे विकास खंड स्थित कृषि कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. राज्य पोषित योजनाएं

3.1 अन्नपूर्णा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।
उद्देश्य	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने मे असमर्थ होते हैं ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।
बीज अदला–बदली	कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज का प्रदाय किया जाएगा। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू. 1500, की पात्रता होगी। कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होगी।
बीज स्वावलम्बन	कृषकों की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।
बीज उत्पादन	शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार / प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा। अधिकतम 1 हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होगी। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जायेगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।

3.2 सूरजधारा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।
उद्देश्य	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना जिसमें उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।
बीज अदला बदली	कृषकों द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किया जाएगा। कृषकों द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जावेगा। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।
बीज स्वावलम्बन	कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जावेगा।

बीज उत्पादन	तिलहनी / दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार / प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर 1 हैक्टर तक के लिये प्रदाय किया जाएगा। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जावेगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।

3.3 मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (मापवा)

उद्देश्य	महिला कृषकों के जीवनयापन स्तर में सुधार कर उसमें स्थायित्व लाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिलों में महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजनान्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं।
योजना का कार्यक्षेत्र	संपूर्ण मध्यप्रदेश।
योजना का स्वरूप	महिलाओं के लिये बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसरण भ्रमण, समूह गठन प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, विशेष प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
दिशा निर्देश	योजना की विस्तृत जानकारी के लिये दिशा निर्देश जिला कलेक्टर, कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला उप संचालक कृषि के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
पात्र हितग्राही	सभी वर्ग की महिला कृषक।
हितग्राही चयन की प्रकिया	एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिये 25 कृषक महिलाओं का चयन हेतु सामान्य, लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे कृषि योग्य भूमि सिंचाई के साधन, पशुधन आदि सूचकों को आधार मानकर किया जावेगा।
योजना का कियान्वयन	येाजना के सफल कियान्वयन के लिये जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि को नोडल अधिकारी (मापवा) नामांकित किया गया है। योजना का कार्य जिले में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (विशेष रूप से महिला अधिकारी) द्वारा किया जाएगा।

3.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु प्रशिक्षण योजना

कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रशिक्षण की अहम भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2007–08 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु प्रशिक्षण दिये जाने हेतु यह नवीन योजना स्वीकृत की गई है।

इन प्रशिक्षण/ भ्रमणों के माध्यम से इस वर्ग के कृषक तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाकर जीवन स्तर सुधार सकेंगे।

प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों से एक–एक किसान मित्र एवं किसान दीदी का चयन कर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है। ताकि वे विभाग एवं कृषकों के बीच एक सेतु का कार्य कर सकें। किसान मित्र एवं किसान दीदी के दो दिवसीय प्रशिक्षणों हेतु रू. 380/– प्रति कृषक का प्रावधान है।

- **भूमिहीन कृषक प्रशिक्षण** – कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा अन्य स्त्रोतों से आय अर्जित करने हेतु इन कृषकों के लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं एवं कृषकों को स्व सहायता समूह बनाने हेतु प्रेरित किया जावेगा। राशि रू. 25000/– का प्रावधान प्रति प्रशिक्षण है जिसमें से – रू. 5000/– प्रति प्रशिक्षण नगद मानदेय भुगतान।
- कृषि तकनीकी का जीवंत प्रदर्शन कराने हेतु कृषकों को राज्य के बाहर एवं राज्य के अंदर कृषक भ्रमण आयोजित कराये जाते हैं। राज्य के बाहर रू. 70,000/– एवं राज्य के भीतर रू. 48,000/–राशि का प्रावधान।
- कृषि में महिलाओं के योगदान को देखते हुए उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। प्रति प्रशिक्षण रू. 15000/– का प्रावधान है।
- कृषकों को नवीन तकनीकी से अवगत कराने हेतु सेमीनार /वर्कशाप, कृषि मेले तथा कृषकों एवं वैज्ञानिकों को एक दूसरे के समक्ष समस्याओं पर चर्चा हेतु इंटरफेस आयोजन का प्रावधान है।

3.5 नलकूप खनन (लघु सिंचाई)

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
अ. नलकूप खनन (राज्य पोषित योजना)	अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के लिये सफल/असफल नलकूप खनन पर खनन की लागत का 75%, अधिकतम रू.15,000, जो भी कम हो अनुदान देय। सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 75%, अधिकतम रू.9000, जो भी कम हो अनुदान देय।

अनुदान की प्रकिया

विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में हितग्राही आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करता है। परीक्षणोपरांत उप संचालक कृषि कार्यालय में हितग्राही का पंजीयन किया जाकर रजिस्ट्रीविटी सर्वे किया जाता है। यह सर्वे जल संसाधन विभाग, सहायक भू जल विद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा शासकीय संस्था से या म. प्र. शासन के संबंधित विभाग में पंजीकृत निजी संस्थाओं से कराया जाता है। उपयुक्त पाये जाने पर खनन की अनुमति दी जाती है तथा खनन के पश्चात नलकूप की यील्ड टेस्ट (जलधारण क्षमता) का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण उप संभागीय स्तर समिति द्वारा **''व्ही नांच''** से कराया जाता है। सफल प्रकरण में कृषक द्वारा पंप स्थापित किया जाता है। कृषक इच्छा अनुसार सूचीबद्ध किये गये अधिकृत कंपनी डीलर अथवा शासकीय संस्था से स्वयं पूर्ण भुगतान करने पर क्रय कर सकेंगे। खनन एवं पंप पर अनुदान देयक उप संचालक कृषि द्वारा जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति उपरांत अनुदान राशि हितग्राही के बैंक खातों में समायेाजित कर दी जाती है।

3.6 मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र

संपूर्ण मध्यप्रदेश ।

उद्देश्य

मिट्टी में पाये जाने वाले प्रमुख एवं सूक्ष्म तत्व न केवल उत्पादन वृद्धि को प्रभावित करते हैं बल्कि कई प्रकार के पादप
रोगों को भी नियंत्रण करते हैं। इन तत्वों की मृदा में उपस्थित मात्रा की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा की जाकर उपयुक्त अनुशंसायें कृषकों को प्रेषित की जाती हैं।

मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका प्रभाव फसल उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसके महत्व को देखते हुये वर्तमान में विभाग के अंतर्गत 24 मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालाएं, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत 26, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी द्वारा संचालित एक प्रयोगशाला तथा जवाहरलाल नेहरू कृ. वि. वि. द्वारा 19 प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में कुल 70 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 7 प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण की भी व्यवस्था है।

प्रयोगशालाओं में मुख्य तत्व नत्रजन (N), स्फुर (P), पोटाश (K), सूक्ष्म तत्व जिंक, कापर, मैंगनीज एवं आयरन तत्वों के विश्लेषण मृदा की अम्लता एवं क्षारता तथा विद्युत चालकता ज्ञात करने की सुविधा है।

निर्धारित शुल्क

मुख्य तत्व विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये 5 रूपये प्रति नमूना, तथा अ.जा./अ. ज. जा. कृषकों के लिये 3 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व विश्लेषण के लिये सामान्य कृषकों के लिये 40 रूपये प्रति नमूना तथा अ. जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 30 रूपये प्रति नमूना की दर निर्धारित है।

विशेष कार्यकम	प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें कृषक द्वारा मिट्टी परीक्षण हेतु बारम्बार प्रस्तुत मिट्टी नमूनों के विशलेषण की जानकारी उपलब्ध रहती है।
कार्यरत प्रयोगशालाएं	**(विभागीय मिट्टी परीक्षण केंद्र)**– भोपाल, सीहोर, पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद, उज्जैन, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, इंदौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, रीवा, मुरैना, भिंड, जबलपुर, दमोह, टीकमगढ़, सीधी, ग्वालियर, बैतूल। **म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत** – होशंगाबाद, इंदौर, बुरहानपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, शिवपुरी, दतिया, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, हरदा, रायसेन, विदिशा एवं कुरवाई, राजगढ़, पन्ना, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, उमरिया, शहडौल, अनूपपुर, सतना। कृषि वि.वि. जबलपुर के अंतर्गत – सीहोर कृ. महा., इंदौर कृ. महा., रीवा कृ. महा., जबलपुर कृ. महा., ग्वालियर कृ. महा., सागर कृषि अनुसंधान केंद्र, गुना कृषि विज्ञान केंद्र, राजगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र। इसके अतिरिक्त – शासकीय महाविद्यालय बड़वानी।

3.7 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 1999–2000 से भारत सरकार के मार्गदर्शन में क्रियान्वित।
अधिसूचित फसलें	**खरीफ**–धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला। **रबी**–गेहूँ (सिंचित/असिंचित), चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज, एवं आलू।
बीमा हेतु पात्र कृषक	सभी अधिसूचित फसलों के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिये योजना में शामिल होना अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक है।
दावा आकलन की इकाई	वर्ष **खरीफ** 2006 से चुनी गई प्रमुख 4 फसलें धान सिंचित, धान असिचिंत, सोयाबीन एवं तुअर, खरीफ वर्ष 2007 से बाजरा, मक्का फसल भी शामिल की गई है। जिसकी निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है। शेष फसलों जैसे कोदो, कुटकी, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और केला के लिये निर्धारित इकाई तहसील को रखा गया है। वर्ष **रबी 2006–07** से चुनी गई 4 प्रमुख फसलें गेंहूं सिंचिंत, गेंहूं असिंचिंत, चना, एवं राई सरसों निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है। शेष फसलें जैसे अलसी, प्याज एवं आलू के लिये तहसील ही इकाई ही यथावत है।

3.8 राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

संयंत्र निर्माण पर अनुदान

केंद्र शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 10 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय है :–

अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को रू.3500 प्रति संयंत्र।

ब. अन्य कृषकों को रू.2700 प्रति संयंत्र।

स. शौचालय से जोड़े गये संयत्रों पर रू. 500/– प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त अनुदान।

5 घनमीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर सभी हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रू. 2500/– का टाप अप अनुदान राज्य शासन की ओर से देय है।

4. कृषि सूचना से तकनीकी का प्रचार प्रसार

कृषि सूचना का संबंध विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों और वैज्ञानिक तकनीकों को त्वरितता के साथ किसानों तक पहुंचाने के लिये विभिन्न प्रसार माध्यमों और साधनों के प्रयोग करने से है। आधुनिक कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार करने हेतु विभिन्न माध्यमों, तौर तरीकों की सहायता ली जा रही है। जिसका लाभ संपूर्ण प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो रहा है।

1- **मुद्रित साहित्य** – खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म कालीन फसलों के अधिक उत्पादन लेने की पद्धतियों को किसानों तक पहुँचाने के लिये कृषि कार्यमालाएं, पुस्तिकाएं तथा पोस्टर्स का प्रकाशन एवं वितरण किसानों के हित में किया जाता है।

2- **प्रदर्शनियां** – कृषि मंत्रालय नई दिल्ली तथा आई. आई. टी. एफ. के सहयोग से आयोजित एग्री एक्सपो में प्रतिवर्ष म. प्र. मंडप में विभागीय स्टाल्स लगाये जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के अलावा राज्य और जिला स्तर की कृषि प्रदर्शनियों व मेलों में विभाग की सहभागिता रहती है। प्रदेश के अंदर जनभादारी से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं सुदूर ग्राम अंचलों में कृषि प्रदर्शनियों तथा पारंपरिक मेलों में भी स्टाल्स लगाये जाते हैं जिनमें कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान और तकनीकों का सजीव प्रदर्शन भी किया जाता है।

3- **इलेक्ट्रानिक माध्यम** – विभाग द्वारा आधुनिक संचार तकनीकी का प्रयोग कृषि प्रसार हेतु किया जा रहा है। आकाशवाणी के सभी 14 केंद्रों से फोन इन कार्यक्रम ''हेलो ग्राम सभा'' प्रतिमाह दूसरे एवं चौथे शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में किसानों द्वारा दूरभाष के माध्यम से स्टूडियों में बैठे वैज्ञानिक एवं कृषि विशेषज्ञों से प्रश्न किये जाते हैं जिनका त्वरित समाधान उनके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शन, ईटीवी से भी समय–समय पर विभाग द्वारा कृषि कार्यक्रम प्रायोजित किये जाते हैं।

4- **विभागीय झांकियां** – राजधानी एवं जिलों में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभागीय उपलब्धियों की झांकियॅा प्रदर्शित की जाती हैं।

5- **साप्ताहिक कृषि सलाह** – मौसम के अनुकूल साप्ताहिक कृषि सलाह एवं सूचनाएं मौसम विभाग तथा जन संपर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती हैं।

6- **मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चर एक्सटेशंन प्रोग्राम** – आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कृषि कार्यक्रमों में गुणवत्ता बढ़ाने तथा समसामयिकता को दृष्टिगत रखते हुये कार्यक्रम निर्धारण हेतु सुझाव देने के लिये इन माध्यमों के कार्यक्रम निर्माण केंद्रों से संयुक्त जिलों में मास मीडिया समितियों का गठन किया गया है जिनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

5. सूचना का अधिकार

12 अक्टूबर 2005 से सूचना काअधिकार प्रदेश में लागू किया गया है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कृषक वर्ग एवं अन्य भारतीय नागरिक, कार्यालयों में संधारित की जाने वाली जानकारियां प्राप्त करने के लिये 10 रूपये के नान ज्यूडिशयल स्टांप या नगद राशि जमा कर संबंधित कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

यदि कोई नागरिक अभिलेख की प्रति प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित फीस जमा कर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई नागरिक किसी शासकीय अभिलेख को देखना चाहता है तो निर्धारित राशि जमा कर, अभिलेखों का अवलोकन कराया जा सकता है।

इसके लिये कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश है। साथ ही यह सूची विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

राज्य स्तर एवं संचालनालय स्तर पर लोक सूचना अधिकारी श्री एस. के. भटनागर, सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री विजय पंडित तथा अपीलीय अधिकारी संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के डॉ. डी. एन. शर्मा हैं।

6. किसानों की समस्या निराकरण एवं प्रशिक्षण सुविधाएं

6.1 प्रशिक्षण संस्थान एवं केंद्र

राज्य स्तर पर भोपाल के निकट बरखेड़ी कला में एक आधुनिक सुविधायुक्त प्रशिक्षण संस्थान ' राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान' संचालित है। किसानों के साथ–साथ मैदानी अमले को भी नई तकनीकों से अवगत कराने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में 19 कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केंद्रों पर किसानों के अलावा कृषि विस्तार अधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण केद्रों पर अवासीय प्रशिक्षण की सुविधा भी है। प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है–

ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन, पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद, बैतूल बाजार जिला बैतूल, इंदौर, सत्राठी जिला खरगौन, उज्जैन, जावरा जिला उज्जैन, सागर, नौगावं जिला छतरपुर, जबलपुर, वारासिवनी जिला बालाघाट, नरसिंहपुर, आंतरी जिला ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकला, कुठलिया जिला रीवा, सिंगरौली, डिंडौरी।

6.2 गुण नियंत्रण तथा परीक्षण प्रयोगशालाएं

किसानों को गुणवत्ता पूर्ण आदान सामग्री उपलब्ध कराने के लिये उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक रसायन गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। इन प्रयोगशालाओं में विभागीय कृषि अधिकारियों द्वारा संकलित किये गये नमूनों का परीक्षण कर आदानों की गुणवत्ता की परख की जाती है। अमानक पाये गये नमूनों से संबंधित कंपनियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में कार्यरत प्रयोगशालाओं की सूची निम्नानुसार हैः–

उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला – ग्वालियर।

कीट गुण नियंत्रण प्रयोगशाला – जबलपुर।